Global Journal of Multidisciplinary Studies Available online at www.gjms.co.in
Volume 2, Issue2, January 2014
ISSN: - 2348-0459

दलित महिलाओं में गतिशीलता : एक अध्ययन

राजकुमार सूत्रकार

शोध अध्येता– समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग रानीं दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म. प्र.)

संक्षिप्त

अनुसूचित जातियाँ भारतीय समाज की वे जातियाँ है जिन्हे अस्पृश्य समझा जाता रहा है और अस्पृश्यता के आधार पर ये जातियाँ अनेक सामाजिक व राजनैतिक निर्योग्यताओं से पीड़ित रही है। वर्तमान समय में हम जिन लोगों के लिए अनुसूचित जातियाँ शब्द का प्रयोग करते है उन्हे अस्पृश्य जातियाँ, अछूत, दलित वर्ग, बहिष्कृत जातियाँ, हरिजन शब्दों से संबोधित किया जाता रहा है।

शब्द खोज – अस्पृश्य , पीड़ित , राजनैतिक

प्रस्तावना

अनुसूचित या अस्पृश्य जातियों को हिन्दू समाज में परम्परागत रूप से निम्न समझा गया है, उनका शोषण किया गया है और उन्हे सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक व आर्थिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। वस्तुतः हरिजन लोगों की यही निर्योग्यताएँ या अयोग्यताएँ है और यही उनकी समस्याएँ तथा पिछड़ेपन के कारण है। इस प्रकार की अस्पृश्यता की समस्या ने निम्न जातियों के स्वस्थ सामाजिक जीवन में अनेक बाधाएँ उत्पन्न कर रखी है।[2]

'दलित' शब्द का इतिहास बहुत पुराना नही है संस्कृत के एक शब्द से व्युत्पन्न इस शब्द का तात्पर्य है शोषित अथवा दबाया हुआ। यद्यपि सामान्य अर्थो में इस शब्द से आशय भारतीय समाज के सभी शोषित एवं सुविद्याहीन वर्गो से है जैसे – अनुसूचित जातियाँ, जनजातीय समुदाय एवं पिछड़ी जातियाँ, आजकल इस शब्द का प्रयोग पूर्व में अस्पृश्य कहलाई जाने वाली अनुसूचित जातियों को संबोधित करने के लिए किया जाता है। आज समाजशास्त्रीय साहित्य में भी इसी सामान्य प्रयोग का अनुकरण करते है। वर्तमान समय में दलित शब्द के प्रयोग का श्रेय दो मराठी नेताओं महात्मा ज्योंतिराव फूले एवं बी.आर. अम्बेडकर को जाता है। उन्होने इस शब्द का प्रयोग पूर्व अस्पृश्य कहलाई जाने वाली जातियों के हिन्दू उच्च जातियों के प्रभुत्व वाले समाज में दरिद्रतापूर्ण एवं शोषित स्थिति को इंगित करने के लिए किया है। ''दलित शब्द, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम सन् 1931 के आसपास पत्रकारिता संबंधी लेखों में अस्पृश्य जातियों के लिए किया गया को सन् 1970 तक, जबकि महाराष्ट्र में दलित पैंथर आंदोलन छिड़ा, मानवीकृत नही हुआ था।'' आज इस शब्द का प्रयोग सुविधाओं एवं मूल अधिकारों से वंचित स्थिति एवं निम्न कुल में जन्म लेने के कारण शोषण के शिकार लोगों को सम्बोधित करने के लिए किया जाता है।''[3]

> अस्पृश्य समाज की अनुसूचित या निम्न जातियों के व्यक्तियों की सामान्य निर्योग्यताओं से संबंधित है जिनके कारण इन लोगों को अपवित्र समझा जाता है और उच्च जातियों द्वारा इनका स्पर्श होने पर प्रायश्चित करना पड़ता है। भारत सरकार के भूतपूर्व विधिमंत्री श्री. अम्बेडकर का कथन है कि ''हिन्दुओ का अछूतापन एक अनहोनी घटना है। संसार के किसी दूसरे हिस्से में मानवता ने इसका अनुभव नही किया है, किसी दूसरे समाज में इस जैसी कोई चीज है ही नही न तो प्रारंभिक समाज में ओर न ही वर्तमान समाज में''।[1] प्रस्तुत शोध पत्र ''दलित महिलाओं में गतिशीलता : एक अध्ययन के विविध आयामों को विश्लेषित करने का एक प्रयास है।''

गतिशीलता एक सामाजिक तथ्य है। समाजशास्त्र में सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन सामाजिक संस्करण एवं

सामाजिक परिवर्तन के सन्दर्भ में किया गया है। सामाजिक गतिशीलता सामाजिक परिवर्तन का ही एक अंश है। सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामाजिक संबंधों, सामाजिक संरचना एवं प्रकार्यों तथा संगठनों में होने वाले परिवर्तनों से है जबकि सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह की सामाजिक प्रस्थिति या पद में परिवर्ततन से है। उदाहरण के लिए, एक प्राध्यापक भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर यदि कलेक्टर बन जाता है, व्यावर शहर का निवासी मुंबई में जाकर बस जाता है, किसी खेतिहर मजदूर को लॉटरी में दस लाख रूपये मिलने पर वह धनवान बन जाता है तो ये सभी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता के अन्तर्गत आयेंगे।[4]

पूर्व अध्ययन की समीक्षा

प्रो. सी.डी. नाईक,[5] प्रोजेक्ट डायरेक्टर (1997–99), ग्रामीण भारत में अस्पृश्यता की दशा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डॉ. अम्बेडकर

संस्थान महू –

प्रस्तुत संस्थागत परियोजना में महू तहसील की अनुसूचित जाति के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व धार्मिक दशाओं का प्राथमिक तथ्यों पर आधारित शोध अध्ययन किया। उक्त अध्ययन में पाया गया कि शासकीय कल्याण व विकास की योजनाओं के तहत करोड़ो रूपये अनुसूचित जाति, जनजाति के नाम पर खर्च किये जाने के बावजूद भी संबंधित जातियों में पिछड़ापन निरंतर बना हुआ है। आपके द्वारा ये सुझाव दिया गया कि शासकीय यंत्रणा अपनी नीति अनुसूचित जाति, जमाती अर्थात् स्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तित कर इन्हे कट्टर वादियों की प्रतिक्रिया का सामना करने हुए समाज के इन तबकों को ऊपर उठाने के लिए बेझिझकर, साहसपूर्ण और लाभकारी कार्यक्रमों को अमल में लाये।

प्रो. सी.डी.नाईक[6] प्रोजेक्टर डायरेक्टर (2000–2002) अनुसूचित जातियों में धार्मिक और सामाजिक मूल्य और इनकी गंभीरताए (महाराष्ट्र के नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के सन्दर्भ में) –

प्रस्तुत शोध परियोजना में प्राथमिक निदर्शनो में संकलित तथ्यों के आधार पर प्रतिवेदन में दर्शाये निष्कर्षो में बताया गया है कि अनुसूचित जाति के लोग भारतीय संविधान के अनुरूप उच्च स्तर के विचार अर्थात् समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व व न्याय की वैचारिकी रखते है परन्तु रूढ़िगत समाज में उनके द्वारा संचालित नैतिक प्रयासों के प्रतिरूप अनुकूल वातावरण नही मिलने के कारण इसे सोच तथा व्यवहार में उतारना कठिन हो गया है।

उद्देश्य –

प्रस्तुत शोध पत्र के उद्देश्य निम्नलिखित है।

1. दलित महिलाओं में सामाजिक गतिशीलता की वास्तविक स्थिति का आंकलन करना।
2. गतिशीलता लाने वाले कारकों तथा इनके परिणामस्वरूप दलित महिलाओं की स्थिति में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करना।

अध्ययन विधि – प्रस्तुत शोध पत्र ''दलित महिलाओं में गतिशीलता :एक अध्ययन पर'' आधारित है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की 150 दलित महिलाओं के उद्देश्य पूर्ण आधार पर समग्र मानते हुए प्राथमिक तथ्यों का संकलन संरचित साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा किया गया है। संकलित तथ्यों को उद्देश्यों के अनुरूप सरल सारणी के द्वारा प्रतिशत में प्रस्तुत किया गया है एवं तदानुकूल विश्लेषित किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र – प्रस्तुत शोध पत्र हेतु शोध कार्य जबलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र इमलिया, मढ़ई और बरगी को केन्द्र मानकर संचालित किया गया है।

तथ्य विश्लेषण – अध्ययन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संकलित तथ्यों के आधार पर निम्नलिखित तथ्य उद्घाटित होते है –

1. चयनित सूचनादात्रियों की आयु सापेक्षिक रूप से 30 वर्ष से कम है।
2. सूचनादात्रियों में विवाहितों का प्रतिशत परित्याकता और विधवा की तुलना में अधिक है।
3. सापेक्षिक रूप से अधिकांश सूचनादात्रियों का जन्म स्थान ग्रामीण है।

4. चयनित सूचनादात्रियों का परिवार मजदूरी के कार्य से जुड़ा हुआ है।

5. सापेक्षिक रूप से चयनित अधिकांश सूचनादात्रियों की शैक्षणिक स्थिति निरक्षर है।

6. सूचनादात्रियों के अधिकांश परिवार एकल प्रकृति के है।

दलित महिलाओ में गतिशीलता के प्रभाव को निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित किया गया –

सारणी क्रमांक 1

सूचनादात्रियों की पुत्री की मित्र की जातीय स्थिति

क्र.	पुत्री की मित्र की जातीय स्थिति	प्रतिशत
1.	सामान्य	83.3
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	–
3.	अनुसूचित जाति	–
4.	अनुसूचित जनजाति	–
5.	केवल अपनी जाति के	16.7
6.	लागू नही	–
	योग	**100**

गतिशीलता का प्रभाव दलित महिलाओं की पुत्रियों पर स्पष्ट देखा जा सकता है जिसमें उनके मित्रों की जातीय स्थिति सामान्य वर्ग के बच्चों से है।

सारणी क्रमांक 2

सूचनादात्रियों की पुत्री का अपने उच्च जातीय मित्र के घर जाना

क्र.	मित्र के घर जाना	प्रतिशत
1.	हॉ	55
2.	नही	33
3.	नही कहा जा सकता	12
	योग	**100**

दलित महिलाओं में पुत्री का अपने उच्च जातीय मित्र के घर जाने में कोई भेदभाव नही है अधिकांश सूचनादात्रियाँ इसके पक्ष में है।

सारणी क्रमांक 3

सूचनादात्रियों की पुत्री को जीवन साथी चुनने की स्वतन्त्रता

क्र.	जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता	प्रतिशत
1.	हाँ	–
2.	नही	100
	योग	**100**

ग्रामीण क्षेत्रों में गतिशीलता अभी भी रूढ़ियों से बंधी हुई है। जिसमें पुत्री को उसके जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता नही है।

सारणी क्रमांक 4

सूचनादात्रियों में तीन पीढ़ियो मे व्यावसायिक गतिशीलता

क्र.	व्यवसाय	माँ का प्रतिशत	स्वयं का प्रतिशत	पुत्री का प्रतिशत
1.	परम्परागत व्यवसाय	–	–	–
2.	कृषि कार्य	–	–	–
3.	मजदूरी	100	100	100
4.	नौकरी	–	–	–
5.	उल्लेख नही	–	–	–
	योग	**100**	**100**	**100**

तीन पीढ़ियों में व्यावसायिक गतिशीलता अभी भी जस की तस बनी हुई है सूचनादात्रियों के आर्थिक कार्यो में कोई परिवर्तन नही आया है वह वर्तमान समय में मजदूरी के कार्यो से जुड़ी हुई है।

सारणी क्रमांक 5

सूचनादात्रियों में तीन पीढ़ियो मे बच्चों की संख्या

क्र.	बच्चों की संख्या	माँ का प्रतिशत	स्वयं का प्रतिशत	पुत्री का प्रतिशत
1.	1–2	–	6.7	27.3
2.	3–4	–	67.3	–
3.	5–6	8.7	26	–
4.	7–8	91.3	–	–
5.	अविवाहित	–	–	66.7
6.	निःसंतान	–	–	6
	योग	**100**	**100**	**100**

तीन पीढ़ियों में बच्चों की सख्या में अद्योगामी गतिशीलता रही है। सूचनादात्रियों की माँ के बच्चों की संख्या अधिक है और उसके एवं उसकी पुत्री के बच्चों की संख्या कम है।

सारणी क्रमांक 6

सूचनादात्रियों की तीन पीढ़ियों का शैक्षणिक स्तर

क्र.	शैक्षणिक स्तर	माँ का प्रतिशत	स्वयं का प्रतिशत	पुत्री का प्रतिशत
1.	निरक्षर	100	94.7	–
2.	प्राथमिक	–	5.3	12.6
3.	मिडिल	–	–	56.6
4.	हाईस्कूल	–	–	30.8
5.	हायर सेकेण्डरी	–	–	–
6.	स्नातक	–	–	–
7.	स्नातकोत्तर	–	–	–
8.	व्यावसायिक	–	–	–
	योग	**100**	**100**	**100**

तीन पीढ़ियों में शैक्षणिक स्तर ऊर्ध्वगामी गतिशीलता दर्शाता है सूचनादात्रियों में उसकी माँ निरक्षर है किन्तु उसकी एवं उसकी पुत्री के शिक्षा का स्तर बढ़ गया है।

निष्कर्ष – ग्रामीण क्षेत्र में दलित महिलाओं में गतिशीलता के प्रभाव से स्पष्ट होता है कि दलित महिलाओं की पुत्रियों का सामान्य वर्ग के बच्चों से मित्रता करना एवं उनके घर जाने में कोई भेदभाव नही है किन्तु पुत्रियों को जीवनसाथी चुनने की स्वतंत्रता नही है इससे स्पष्ट है कि वे अभी भी रूढ़ियों से बंधी हुई है। तीन पीढ़ियों में सूचनादात्रियों के आर्थिक कार्यो में कोई परिवर्तन नही आया है। किन्तु बच्चों की संख्या में अद्योगामी और शैक्षणिक स्तर में ऊर्ध्वगामी गतिशीलता दिखाई दे रही है।

संदर्भ –

1. मदन, जी.आर. विकास का समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन दिल्ली 2011, पृ. 378–379।

2. वही

3. हसनैन, नदीम समकालीन भारतीय समाज, भारत बुक सेन्टर लखनऊ 2007 पृ. 139।

4. प्रो. गुप्ता, एम.एल. डॉ. शर्मा, डी.डी. समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत साहित्य भवन पब्लिकेशन पृ. 562

5. प्रो. नाईक, सी.डी. प्रोजेक्ट डायरेक्टर (1997–99), ग्रामीण भारत में अस्पृश्यता की दशा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डॉ. अम्बेडकर संस्थान महू।

6. प्रों. नाईक, सी.डी. प्रोजेक्ट डायरेक्टर (2000–2002) अनुसूचित जातियों में धार्मिक और सामाजिक मूल्य और इनकी गंभीरताएँ (महाराष्ट्र के नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में)